ग्राम - रैमैला सम्बन्धित दुबड़ौनल तहसील - चम्पावत जिला - चम्पावत

श्रेणी ट (3) ड. बंजर काबिल आबाद

खाता नं॰	नाम काश्तकार एवं पिता नाम	फसली सन्	खेत नम्बर	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
06	ब॰ का॰ आ॰	1423	3 20 22 23 35 43 44 62 71 क्रमशः 11083 11090 11098 11097 11099 क्रमशः 11880 11895 11897 11898 11907	0.509 0.024 0.039 0.096 0.211 0.068 0.019 0.816 0.026 क्रमशः 0.056 0.016 2.157 20.267 1.512 क्रमशः 0.030 0.571 1.315 0.830 0.510	श्रीमान् अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादून के शासनादेश 5791/x-4-15/1(342)/2015 दि॰ 25 जुलाई 2015 के द्वारा एवं श्रीमान जिलाधिकारी - चम्पावत के पत्रांक 1890/सा - भूमि हस्तान्तरण (श्रे॰ भू॰ आ॰) 2015-16 के अनुसार ग्राम घुनाधार - बसौट मोटर मार्ग हेतु ग्राम रैमैला प॰ तो॰ दुबड़ौनल तहसील - चम्पावत जनपद - चम्पावत के सी॰ एस॰ वि॰ खा॰ नं॰ 206 श्रेणी 9(3)(ड) का आ॰ के खेत नं॰ 11097 में से 1.148 तथा 11098 में से 2.000 है॰ कुल 3.148 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है। तथा स्वीकृत भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण किया। ह॰ रा॰ उ॰ नि॰ दुबड़ौनल
		योग	638	303.866	

महोदय,

उद्धरण खतौनी नकल तैयार किया

30/3/16

(हरीश ...)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र दुबड़ौनल
तह॰/जिला - चम्पावत

आदेश

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादून के शासनादेश संख्या–579/X-4–15/1(342)/2015, दिनांक 25 जुलाई, 2015 के द्वारा जनपद चम्पावत अन्तर्गत धूनाघाट–बसौट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.574 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रोल्लिखित शर्त संख्या– 01 लगायत 10 के अधीन प्राप्त हुई है। उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या– 01 के अनुपालन में उपजिलाधिकारी चम्पावत द्वारा धूनाघाट से बसौट मोटर मार्ग हेतु ग्राम रमेला प0क्षे0 दुबड़जैनल तहसील चम्पावत के गै0ज0वि0 खा0 नं0 206 श्रेणी 9(3)ड0 बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 11097 मध्ये 1.141 है0 तथा 11098 मध्ये 2.007 है0 इस प्रकार कुल 3.148 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक स्थल, शमशान घाट, पौराणिक स्थल आदि नहीं है, प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है, प्रस्तावित भूमि में कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है। उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किये जाने में ग्रामवासियों की कोई आपत्ति नहीं है। निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है।

अतः ग्राम रमैला, प0क्षे0 दुबड़जैनल, तहसील चम्पावत जनपद चम्पावत के गै0ज0वि0 खा नं0 206 श्रेणी 9(3)ड0 बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 11097 मध्ये 1.141 है0 तथा 11098 मध्ये 2.007 कुल 3.148 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार चम्पावत स्वीकृत भूमि वन विभाग के नाम भूअभिलेखों में नामान्तरण कर हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेंगे ।

ह0

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत ।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

दिनांक 03 मार्च, 2016

पत्रांक– 1890/सात–भूमि–हस्तां0(स0भू0अ0)/2015–16,

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, देहरादून ।
3– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
4– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून ।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत ।
6– उपजिलाधिकारी चम्पावत ।
7– तहसीलदार चम्पावत को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ कि कृपया नामांतरण/हस्तांतरण उपरान्त सम्बन्धित विभाग व अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
8– अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0 लोक निर्माण विभाग, चम्पावत ।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी चम्पावत ।